न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2019	29—03—2019	22—10—2019

01— जयसिंह पुत्र श्री छगन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार बानसूर जिला अलवर

—रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 25.02.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 442/2019

उपस्थितः—

01—श्री अनिल गुप्ता —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 25.02.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम खेड़ा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 413/0.42 है0, 414/3.67 में से 2.00 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम खेड़ा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 413/0.42 है0, 414/3.67 में से 2.00 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 05.02.2019 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिकमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिकमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-10-19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)